

**Speed post /त्रिव डाक**

भारत सरकार  
खानमंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खाननियंत्रक का कार्यालय  
माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर  
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in

**Violation letter/उल्लंघन पत्र**

Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of  
Mines. Makhapura Industrial Area,  
Ajmer- 305002  
Ph-145-2695165/2695476 Fax-  
2695202

संख्या: 4960/MCDR-MiFLOLST/22/2023-AJM -IBM\_RO\_AJM दिनांक: /11/2024

प्रेषित: खान एजेंट,  
ठंडीबेरी चुनापत्थर खान,  
मेसर्स अल्ट्रा टेक नाथद्वारा सिमेन्ट लिमिटेड,  
गाँव: ठंडीबेरी, तहसील: पिंडवारा,  
जिला: सिरोही (राजस्थान), पिन: 307031

(e-mail: [bhismadeb.sahoo@adityabirla.com](mailto:bhismadeb.sahoo@adityabirla.com), [pranjal.bhatnagar@adityabirla.com](mailto:pranjal.bhatnagar@adityabirla.com))

**विषय:** राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में स्थित आपकी ठंडीबेरी चुनापत्थर खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 12/11/2024 and 13/11/2024 by undersign in presence of your good-self, Sri Pranjal Bhatnagar, Geologist of your mine.

Rule	Status and extent of violation
<b>11(1)</b>	<p>Mining operations have not been carried out in accordance to Modification of Review of Mining Plan approved on 07/11/2023 to the extent given below for the year 2023-24:</p> <p>(1) ROM production of 436334.00 tons has been achieved against the target of 2000492.00 tons, resulting achievement of only 21.81% of proposal.</p> <p>(2) An area of 0.01 hectare was proposed to develop under recreation within lease area; however, same has not been development.</p> <p>(3) Afforestation proposed over an area of 0.75 hectare with 750 numbers of plants has not been carried out over the proposed area.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

(क) आपकी खान कि सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(दिलीप जैन)

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक  
भारतीय खान ब्युरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्युरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार,सिरोही।
4. रक्षित पत्रवली।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक  
भारतीय खान ब्युरो, अजमेर